भारत सरकार

श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 403

बुधवार, 26 नवम्बर, 2014/5 अग्रहायण, 1936 (शक)

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन दिया जाना

403. श्रीमती कहकशां परवीन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन देने की कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क): सरकार इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना को क्रियान्वित कर रही है। सभी 60 वर्ष से अधिक आयु के और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले नागरिक इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए पेंशन की राशि को 200/- रुपये से बढ़ाकर 500/- रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार इस योजना के अंतर्गत 2.18 करोड़ से अधिक व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं।

(ख): लागू नहीं।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 413

बुधवार, 26 नवम्बर, 2014/5 अग्रहायण, 1936 (शक)

ईपीएफ अंशदाताओं के लिए घर

413. डा. चंदन मित्रा:

क्या **श्रम और रोज़गार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने अंशदाताओं को अतिरिक्त अंशदान करने पर आवास प्रदान करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या है; और

(ग) उक्त योजना को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारु दत्तात्रेय)

(क): जी, नहीं।

(ख) एवं (ग): उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर के भाग (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 418

बुधवार, 26 नवम्बर, 2014/5 अग्रहायण, 1936 (शक)

ईपीएफओ द्वारा सार्वभौमिक पीएफ खाता संख्या का आबंटन

418. श्री एस. थंगावेलु:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क(क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने नियोक्ताओं के लिए अपने कर्मचारियों के बैंक खाते की संख्या और बैंक शाखा के आई. एफ. एस. सी. कोड की जानकारी प्रदान करना अनिवार्य बना दिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि ईपीएफओ अंशदाताओं को सार्वभौमिक भविष्य निधि (पीएफ) खाता संख्या का आबंटन करने और उन्हें भुगतान करने पर विचार कर रहा है; और

(ग(क्या सार्वभौमिक खाता संख्या अंशदान देने वाले 4.17 करोड़ अंशदाताओं को अत्यधिक लाभ पहुंचाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारु दत्तात्रेय)

(क): जी, हां।

(ख): ईपीएफओ ने पहले ही अंशदान करने वाले अपने सदस्यों को द्वारा सार्वभौमिक पीएफ खाता संख्या (यूएएन) का आबंटन शुरु कर दिया है। तथापि, अंशदाताओं को भुगतान विद्यमान प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।

(ग): यूएएन की अभिकल्पना किसी सदस्य के विभिन्न स्थापनाओं में उसके समग्र रोजगार के संबंध में छत्र संख्या के रुप में की गई है। इससे आरंभ मे सदस्य निम्नलिखित ढंग से लाभान्वित होंगे:-

(i) सदस्य यूएएन आधारित सदस्य पोर्टल के माध्यम से अपना अद्यतन पीएफ शेष जान पाएगा।

(ii) इस पद्धति से पीएफ संचयों की सुवाध्यता संभव हो पाएगी जब सदस्य के यूएएन डाटा बेस में उपलब्ध बैंक खाते, आधार और पैन के ब्यौरों का नियोक्ता द्वारा रोजगार के बदलने पर सत्यापन कर लिया जाएगा।

(iii) यदि सदस्य ने यूएएन आधारित सदस्य पोर्टल पर अपना मोबाईल नम्बर पंजीकृत करवाया हो तो उसे अपने मोबाईल नम्बर पर अपने पीएफ अंशदान की प्राप्ति के बारे में संदेश प्राप्त हो जाएगा।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोज़गार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1183

बुधवार, 3 दिसम्बर, 2014 / 12 अग्रहायण, 1936 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि की न्यूनतम पेंशन राशि

1183. श्री पी. राजीव:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि की न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाने संबंधी निर्णय को कार्यान्वित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या मंत्रालय के पास एक हज़ार रुपये से अधिक पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों के पेंशन में आनुपातिक वृद्धि करने की योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) और (ख) सरकार ने दिनांक 19 अगस्त, 2014 की अधिसूचना सा.का.नि. 593(अ.) द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए 01.09.2014 से कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत पेंशनधारकों को 1000 रूपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन अधिसूचित की है।

(ग) उपर्युक्त प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त प्रश्न के भाग (घ) के उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोज़गार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1184

बुधवार, 3 दिसम्बर, 2014 / 12 अग्रहायण, 1936 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन

1184. श्री डी. राजा:

श्री एम. पी. अच्युतन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन राशि को एक हज़ार रुपये प्रतिमाह पर नियत करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब से कार्यान्वित किया जाना है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) और (ख) सरकार ने दिनांक 19 अगस्त, 2014 की अधिसूचना सा.का.नि. 593(अ.) द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए 01.09.2014 से कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत पेंशनधारकों को 1000 रूपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन अधिसूचित की है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 1188

बुधवार, 3 दिसम्बर, 2014/12 अग्रहायण,1936 (शक)

बंद पड़े चाय बागानों के कामगारों की बकाया भविष्य निधि

1188. श्री तपन कुमार सेन:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिमी बंगाल और देश के अन्य भागों में बंद पड़े चाय बागानों के कामगारों की भविष्य निधि की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्तमान में ऐसे बंद पड़े चाय बागानों के कामगारों की भविष्य निधि की कितनी राशि बकाया है;

(घ) सरकार द्वारा चूककर्ता कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में ऐसे कामगारों के हितों की रक्षा हेतु क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री)स्वतंत्र प्रभार(

)श्री बंडारु दत्तात्रेय(

(□): □□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□

(□) □□ (□): □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ 26-11-2014 □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ 16 □□□ □□□ □□□□□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□ 16 □□□ □□□ □□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ राशि □□ □□□□□□ 28 □□□□□ □□□□□ (□□□□□□□□) □□□

(□): □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□ □□:

)i(भुगतान में चूक की राशि कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7क के अंतर्गत निर्धारित की गई है।

)ii) □□□□□□□□□ देय राशि □□ □□□-□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□

)iii) □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□ □ □□□□ □□□□

□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ भारतीय दंड संहिता की □□□□ 406 □□ 409 □□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□

)iv) □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□ कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की □□□□□ 8□ □□ 8□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□

(□) □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□:

)i(कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत पेंशन का भुगतान नियोक्ता से पेंशन की प्राप्ति के बिना भी किया जाता है।

)ii) □□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□

****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1191

बुधवार, 3 दिसम्बर, 2014/12 अग्रहायण, 1936 (शक)

पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम

1191. श्री रंजिब बिस्वाल:
श्री प्रभात झा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम शुरू किया है और कई श्रम सुधार किये हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने यूनाइटेड वेब पोर्टल भी शुरू किया है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों/ कामगारों को क्या लाभ मिलने की संभावना है; और
(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं कि इन कार्यक्रमों के लाभ लाभार्थियों तक पहुंचे?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारु दत्तात्रेय)

(क) से(घ): भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने राज्यों के श्रम और रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण मंत्रियों के 16 अक्टूबर, 2014 को आयोजित एक दिवसीय सम्मेलन के दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसमें एकीकृत श्रम वेबपोर्टल 'श्रम सुविधा पोर्टल' सहित श्रम के क्षेत्र में सुशासन, कल्याण और कौशल विकास हेतु बहुत सारी पहलें आरंभ की गई। इसके अंतर्गत पहलों संबंधी लाभों का ब्यौरा अनुबंध-I पर है।

(ङ): (i) श्रम सुविधा पोर्टल निरीक्षणों को प्रणाली-चालित, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के प्रयोजन के साथ शुरू किया गया है। वेबपोर्टल के शुरू होने के साथ निरीक्षण प्रणाली चालित तरीके से नियंत्रित किए जाते हैं, जहां मामलों जैसे कि अपवंचन, कम भुगतान इत्यादि की पहचान निष्पक्षतापूर्वक की जा सकेगी। इससे कामगारों की हितों की रक्षा हो सकेगी। ब्यौरा अनुबंध-I पर है।

(ii) अभी तक केन्द्रीय क्षेत्र में 7 लाख से अधिक उपक्रमों को एलआईएन आबंटित किया जा चुका है। साथ ही, श्रम निरीक्षण योजना के अंतर्गत 10 हजार से अधिक निरीक्षण जनरेट किए जा चुके हैं और 72 घंटे की निर्धारित समय-सीमा का पालन करते हुए 8 हजार से अधिक को अपलोड किया गया है।

(iii) अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थियों को सार्वभौमिक लेखा संख्या (यूएएन) सुविधा प्रदान की गई है जिनको अपने खातों/एक से अधिक खातों में अपनी अद्यतन संग्रहित राशि को ऑनलाइन देखने के लिए यूएएन आबंटित किए गए हैं। मासिक अंशदान प्राप्ति पर यूएएन आबंटित सदस्यों को एसएमएस भी भेजे जा रहे हैं।

(iv) डीजीईएण्डटी स्कीमों हेतु -

(क) <u>प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना</u> :

12वीं पचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के अंतर्गत सम्मिलित स्थापनाओं द्वारा अनुबंधित किए जाने वाले 100,000 प्रशिक्षुओं हेतु प्रथम दो वर्षों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षुओं के लिए निर्धारित छात्रवृत्ति का 50 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा वहन करने के लिए प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना 16 अक्टूबर, 2014 को शुरू की गई। कार्यक्रम के दौरान अनेक प्रशिक्षुओं और नियोक्ताओं को प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना के तहत मंजूरी-पत्र जारी किए गए।

(ख) <u>वर्ष 2014 के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के राष्ट्रीय ब्रांड प्रतिनिधियों को मान्यता</u>:

'पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते' कार्यक्रम के दौरान विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) से 25 उत्तीर्णों को, जिन्होंने स्वयं के साथ-साथ समाज के लिए ख्याति प्राप्त की है, को वर्ष 2014 के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के राष्ट्रीय ब्रांड प्रतिनिधि के रूप में पहचान कर मान्यता प्रदान की गई है।

इससे आईटीआई की ब्रांड इमेज और सामाजिक स्वीकार्यता में सुधार करने में सहायता मिलेगी।

(ग) <u>राष्ट्रीय कौशल प्रतियोगिता विजेताओं को मान्यता</u> :

कौशल के स्तर में सुधार करने के प्रयोजन से संस्थानों (आईटीआई) के प्रशिक्षुओं और जो प्रशिक्षु प्रशिक्षणाधीन हैं, के मध्य तुलनात्मक रूप से उत्तम के बीच सर्वोत्तम की पहचान और एक स्वस्थ्य प्रतियोगिता की भावना को बढ़ावा देने के लिए अखिल भारतीय प्रतियोगिता स्कीम वर्ष 1964 में शुरू की गई। इस स्कीम के अंतर्गत दो प्रतियोगिताएं आरंभ की गई। उनके नाम है (i) शिल्पकार पुरस्कार के लिए अखिल भारतीय कौशल प्रतियोगिता जो कि वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है और (ii) प्रशिक्षु के लिए अखिल भारतीय प्रतियोगिता जो कि वर्ष में दो बार आयोजित की जाती है।

आरंभ में प्रतियोगिता केवल तीन ट्रेड तक सीमित थी और धीरे-धीरे इसका विस्तार 10 ट्रेड तक किया गया और अब इसमें 15 लोकप्रिय ट्रेड शामिल है। इन राष्ट्रीय कौशल प्रतियोगिताओं के इतिहास में प्रथम बार विजेताओं को सम्मानित किया गया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर के प्रोग्राम में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इनका अभिनंदन किया गया। इस वर्ष जनवरी, 2014 में आयोजित 50वीं अखिल भारतीय कौशल प्रतियोगिता से 12 पुरस्कार विजेताओं को सर्वोत्तम शिल्पकार की श्रेणी में और मई 2014 में आयोजित 92वीं अखिल भारतीय प्रशिक्षु प्रतियोगिता के सर्वोत्तम प्रशिक्षु श्रेणी से 13 पुरस्कार विजेताओं पाने वालों को रखा गया।

****

अनुबंध-I

दिनांक 3.12.2014 को उत्तर के लिए नियत राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1191 के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम

केंद्रीय क्षेत्र में स्व- प्रमाणन और सुगम अनुपालन हेतु श्रम सुविधा पोर्टल

- देश में औद्योगिक विकास के लिए सहायक वातावरण बनाना
- 4 केंद्रीय संगठनों : मुख्या श्रमायुक्त, खान सुरक्षा महानिदेशक, भविष्य निधि संगठन तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम
- विशिष्ट श्रम पहचान संख्या(LIN)का आबंटन
- यूनिटों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
- उद्योगों द्वारा 16 श्रम कानूनों के लिए पोर्टल पर स्वप्रमाणित, सरलीकृत, एकल ऑनलाइन रिटर्न भरा जायगा
- शिकायतों का पोर्टल के माध्यम से समयबद्ध निस्तारण
- सूचित नीति प्रक्रिया में जोड़े जाने के लिए एक स्थान पर संपूर्ण डाटाबेस

केंद्रीय क्षेत्र में निरीक्षण हेतु रॅंडम पद्धति से इकाइयों के चुनाव हेतु पारदर्शी श्रम निरीक्षण योजना

- कम्प्यूटर द्वारा जोखिम आधारित वस्तुनिष्ठ मानकों के अनुसार यादृच्छिक निरीक्षण सूची तैयार करना
- अनिवार्य निरीक्षण सूची के अंतर्गत गंभीर मामलों को शामिल करना
- तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर परीक्षण के बाद शिकायतों पर आधारित निरीक्षणों का निर्धारण
- 72 घंटों के भीतर निरीक्षण रिपोर्ट की अनिवार्य अपलोडिंग

कर्मचारी भविष्य निधि के लिए यूनिवर्सल खाता संख्या (यू. ए. एन.) के माध्यम से पोर्टेबिलिटी:

- 4,20,99,841 क. भ. नि. अंशदाताओं के सम्पूर्ण डाटाबेस का डिजिटाइज़ेशन तथा प्रत्येक को यू. ए. एन. का आबंटन
- यू. ए. एन. को वित्तीय समावेशन के लिए बैंक खाते तथा आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और अन्य के. वाई. सी. विवरण के साथ जोड़ा जा रहा है

- यू. ए. एन. के माध्यम से संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को नौकरी परिवर्तन तथा भौगोलिक क्षेत्र में परिवर्तन होने पर सामाजिक सुरक्षा लाभों की पोर्टेबिलिटी
- कर्मचारी के क. भ. नि. खाते को मासिक आधार पर अद्यतन करना तथा उसे उसी समय एस.एम.एस. के माध्यम से सूचित करना
- कर्मचारियों को उनके क. भ. नि. खातों तक सीधी पहुँच तथा उन्हें उनके पिछले खातों को समेकित करने में सक्षम करना
- केजुअल और ठेका कामगारों के नामांकन हेतु **विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है।**

असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) का प्रभावी कार्यान्वयन:

- असंगठित क्षेत्र में 93% श्रमिकों के लिए सेवाओं की गुणवत्ता और पहुँच सुनिश्चित करने हेतु आरएसबीवाई का पुनर्गठन
- शिकायत निराकरण व्यवस्था का सुदृढीकरण
- उन्नत आईटी फ्रेमवर्क के माध्यम से सेवा की पहुँच को बेहतर बनाना तथा लाभार्थियों को प्राप्त परिणामों की मानीटरी की व्यवस्था
- वित्तीय समावेशन हेतु आरएसबीवाई में पंजीयन को बैंक खाता खुलवाने/स्मार्ट कार्ड से जोड़ने तथा आधार नंबर देने/ स्मार्ट कार्ड में अंकित करने से जोड़ना
- पहली बार योजना के अन्तर्गत निवारक स्वास्थ्य परीक्षण शामिल
- निर्माण क्षेत्र तथा विभिन्न कल्याणकारी उपकरों के अंतर्गत आनेवाले लाभार्थियों के लिए भी योजना लागू
- उन्नत आईटी ढांचे के द्वारा आरएसबीवाई स्मार्ट कार्ड पर आम आदमी बीमा योजना तथा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन सामाजिक सुरक्षा स्कीमों को समेकित करने की शुरूआत

प्रप्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना

2.9 लाख की वर्तमान संख्या के मुकाबले अगले कुछ वर्षों में 20 लाख से अधिक प्रशिक्षु रखने की संकल्पना।

उद्योग तथा राज्यों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद भारत में प्रशिक्षुता योजना में सुधार करने के लिए बड़ी पहल।

इस पहल के चार संघटक हैं:

- उद्योग और युवा-दोनों के लिए कानूनी ढांचा अनुकूल बनाना। प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 में संशोधन करने से संबंधित आवश्यक विधेयक लोक सभा द्वारा 14 अगस्त, 2014 को और राज्य सभा द्वारा 26 नवम्बर, 2014 को पारित किया गया है।
- वृत्तिका की दर बढ़ाना और इसे अर्धकुशल कामगारों की न्यूनतम मजदूरी से सूचीबद्ध करना। राजपत्र अधिसूचना 22 सितम्बर, 2014 को जारी की गई है।

- प्रशिक्षुओं के पहले दो वर्षों के प्रशिक्षण के दौरान उन्हें अदा की गई वृत्तिका के 50% की प्रतिपूर्ति द्वारा मुख्य रूप से एमएसएमई विनिर्माण इकाइयों और अन्य प्रतिष्ठानों को सहयोग देने के लिए प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना 16 अक्टूबर, 2014 को शुरू की गई है। यह 12वीं पंचवर्षीय योजना (31.3.2017) की शेष अवधि के दौरान यह एक लाख प्रशिक्षुओं की सहायता करेगी।
- इस योजना के शुरू होने के बाद प्रमुख समाचार पत्रों में संबंधित आरडीएटी द्वारा उद्योगों से इस योजना का लाभ उठाने के लिए स्वयं को पंजीकृत करवाने हेतु आवेदन आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए गए थे। 28.11.2014 की स्थिति के अनुसार, 153 प्रशिक्षुओं को इस योजना के तहत नियोजित किया गया है।
- मूलभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए इसे वैज्ञानिक सिद्धांतों पर तैयार किया जा रहा है और अति लघु, लघु तथा मध्यम उद्यमों को सरकार द्वारा वित्तपोषित एसडीआई योजना में इस घटक की अनुमति देकर वित्तीय रूप से सहायता प्रदान की जानी है।

पूर्व शिक्षा की मान्यता (आरपीएल)

- कृषि एवं विनिर्माण के पश्चात निर्माण क्षेत्र तीसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है। इसका भारत में रोजगार में 10% से अधिक का योगदान है
- इसमें लगभग 4.2 करोड़ कामगार रोजगाररत हैं जिनका सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में योगदान 6.67% है
- 86% कामगारों के पास कोई कौशल नहीं है और उत्पादकता स्तर निम्न है
- निर्माण संबंधी परियोजनाओं से एकत्र हुई उपकर निधियों का उपयोग कर उद्योग के साथ व्यापक परामर्श के पश्चात श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा "निर्माण कामगारों की पूर्व शिक्षा की मान्यता" नामक राष्ट्रीय योजना प्रारंभ की जा रही है
- निर्माण स्थलों को परीक्षण केंद्रों के रूप में नामोद्दिष्ट किया जाएगा
- कौशल अंतराल, यदि कोई हो, को लगभग 15 दिनों का अंतराल प्रशिक्षण देते हुए पूरा किया जाएगा
- प्रशिक्षण कक्षाओं में उपस्थित होने और मूल्यांकन हेतु वेतन क्षतिपूर्ति

- एनसीवीटी प्रमाणन
- इस योजना को तेलंगाना, हरियाणा (गुड़गॉव) और दिल्ली में प्रयोग के रूप में शुरू किया गया है।

निर्माण कंपनियों के साथ परामर्श से एनसीवीटी द्वारा प्रमाणन से आधुनिक निर्माण तकनीकों का प्रशिक्षण

- 100 स्मार्ट शहर, 2022 तक सभी को आवास जैसी पहलों के साथ निर्माण क्षेत्र तीव्र दर पर विकसित होगा
- यह अनुमान है कि वर्ष 2022 तक इस क्षेत्र में लगभग 8.3 करोड़ व्यक्तियों को नियोजित किया जाएगा
- नई परियोजनाओं में निर्माण कार्य में अंतरराष्ट्रीय मानदंडों को पूरा करने के लिए आधुनिक निर्माण प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण की जरूरत है
- कई नए पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं।

विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र

- 2011 की जनगणना के अनुसार, 2.68 करोड़ विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडीज) थे जिनमें से 1.7 करोड़ व्यक्ति बेरोजगार हैं
- देश भर में 21 विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों (वीआरसीज) के माध्यम से विकलांगों को व्यावसायिक पुनर्वास सहायता
- क्षमता निर्माण तथा अंतिम चरण उन्मुखीकरण के माध्यम से विकलांगों को नियोजनीय बनाने के लिए विकलांग व्यक्ति की क्षमता को प्रखर बनाने पर ध्यान देना
- भारत के कार्यबल में विविधता तथा समग्रता को बढ़ाने के लिए बेहतरीन व्यवहारों एवं नीतिगत उपायों को शामिल करने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय एवं टाटा सन्स के मध्य ज्ञान सहभागिता समझौता-ज्ञापन
- वीआरसीज के प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने तथा इनके लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि के लिए उद्योग के साथ संबंधों को विस्तृत एवं गहन बनाने के लिए कई प्रयास जारी हैं। कुछ संस्थान जिन्होंने वीआरसीज के

साथ भागीदारी की है, उनमें राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास निगम, राष्ट्रीय न्यास, ओएनजीसी जैसे पीएसयूज, डॉ. रेड्डी लेबोरेटरीज, यम फूडस, बैंक ऑफ अमेरिका, सार्थक इत्यादि शामिल हैं।

- इन केन्द्रों में से कुछ केन्द्र विकलांगों हेतु आदर्श कैरियर केन्द्रों के रूप में भी विकसित किए जा रहे हैं।

व्यावसायिक प्रशिक्षण के राष्ट्रीय ब्रांड प्रतिनिधि

- हमारे कार्यबल के केवल 10% ने ही औपचारिक अथवा अनौपचारिक तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इसका केवल एक चौथाई ही औपचारिक रूप से प्रशिक्षित है।
- दक्षिण कोरिया, जापान, जर्मनी में, कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके कार्यबल का प्रतिशत क्रमशः 96, 80 एवं 75 है।
- यदि हमें "मेक इन इंडिया" के अपने मिशन में सफलता प्राप्त करनी है, तो हमें प्रमाण-पत्र स्तरीय व्यावसायिक प्रशिक्षण का तीव्रता से विस्तार करने की आवश्यकता है। हमें व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु युवाओं को आकर्षित करने की भी आवश्यकता है
- व्यावसायिक प्रशिक्षण ने उत्कृष्ट तकनीशियन, मेकैनिक, उद्यमी एवं पेशेवर नेतृत्वकर्ता प्रदान किए हैं। विनिर्माण क्षेत्र इस सफलता का भंडार है
- हम व्यावसायिक प्रशिक्षण के राष्ट्रीय ब्रांड प्रतिनिधियों के रूप में ऐसे सफल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्नातकों को प्रदर्शित कर रहे हैं एवं उनको सम्मानित कर रहे हैं

लोचशील समझौता-ज्ञापन (फलेक्सी एमओयू)

- इस समय, उद्योग, शैक्षिक वर्ग, चैम्पियन आईटीआई एवं डीजीईएंडटी परामर्शदाताओं के प्रतिनिधियों वाली परामर्शदात्री परिषदों द्वारा कुल 126 एनसीवीटी पाठ्यक्रम तैयार एवं विकसित किए गए हैं तथा लगभग 11,964 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में विशेषज्ञ पाठ्यक्रम/व्यवसाय आयोजित किए जाते हैं

- इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्थानीय उद्योग की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए एनसीवीटी प्रमाणीकरण के साथ विशेष रूप से बनाए गए पाठ्यक्रम उपलब्ध हों लोचशील समझौता-ज्ञापन की नई नीति जुलाई, 2014 में प्रारंभ की गई है
- इस समझौता-ज्ञापन के तहत, कोई भी उद्योग कम्पनी की विशिष्ट कौशल आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए आईटीआई अथवा अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता के साथ भागीदारी से एनसीवीटी प्रमाणीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम चला सकता है
- उद्योग को न्यूनतम 80% रोजगार सुनिश्चित करना है
- कुछ अग्रणी उद्योग जैसे फ्लिपकार्ट, रेमण्ड्स, लेबरनेट, जीआईपीसील, कैडिला ने समझौता-ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं तथा कई अन्य अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया में है।

कौशल विजेता

- श्रम मंत्रालय प्रप्रशिक्षु शिल्पकारों/प्रशिक्षुओं में प्रतिस्पर्धात्मकता की स्वस्थ भावना पोषित करने के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित करता है
- शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के तहत प्रवेश प्राप्त प्रशिक्षुओं हेतु अखिल भारत शिल्पकार कौशल प्रतियोगिता प्रत्येक वर्ष मे एक बार आयोजित की जाती है
- प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एटीएस) के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त प्रशिक्षुओं हेतु अखिल भारत प्रशिक्षु प्रतियोगिता प्रत्येक वर्ष मे दो बार आयोजित की जाती है
- राष्ट्रीय स्तर पर विजेताओं को सम्मानित करने तथा प्रथम स्मारिका प्रकाशित करने की अब तक की प्रथम पहल जिसमें जनवरी, 2014 मे आयोजित नवीनतम अखिल भारत शिल्पकार प्रतियोगिता तथा मई, 2014 में आयोजित अखिल भारत प्रशिक्षु प्रतियोगिता में विभिन्न वर्गों के विजेताओं की सूची शामिल है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1192

बुधवार, 3 दिसम्बर, 2014/12 अग्रहायण, 1936 (शक)

पेंशनधरियों के लिए नई नीति

1192. श्री बसावाराज पाटिल:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पेंशनधरियों पर सरकार की नई नीति का क्या प्रभाव पड़ा है;
(ख) कितने पेंशनधरियों के लाभान्वित होने की संभावना है; और
(ग) पेंशनधरियों को प्राप्त हुए कुल वित्तीय लाभ का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारु दत्तात्रेय)

(क) और (ख): सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत वर्ष 2014-15 के संबंध में सा.का.नि. सं.593(अ) दिनांक 19.08.2014 द्वारा 01.09.2014 से प्रतिमाह 1,000/- रुपये की न्यूनतम पेंशन अधिसूचित कर दी है। इससे योजना के अंतर्गत 1,000/- रुपये से कम पेंशन पाने वाले सभी सदस्य, विधवा/विधुर, नि:शक्त, नामिति और मॉ-बाप पेंशनभोगी लाभान्वित हुए हैं। इस नीति से बाल एवं अनाथ पेंशन भोगी भी लाभान्वित हुए हैं जिनकी न्यूनतम पेंशन क्रमश: 250/- रुपये प्रतिमाह और 750/- रुपये प्रतिमाह होगी। इस नीति के तहत, कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत लगभग 32 लाख पेंशन भोगी लाभान्वित हुए हैं।

(ग): कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत प्रतिमाह 1,000/- रुपये से कम पेंशन पाने वाले पेंशनभोगी, पेंशन के अलावा टॉप-ऑप धनराशि पा रहे हैं जिससे पेंशन प्रतिमाह 1,000/- रुपये हो जाएगी। इसके अलावा, बाल एवं अनाथ पेंशन भोगी क्रमश: 250/- रुपये प्रतिमाह और 750/- रुपये प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन पा रहे हैं। सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन कार्यान्वित करने में पेंशन धारकों को कुल वित्तीय लाभ 01.09.2014 से 31.03.2015 तक की अवधि के संबंध में 709 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 1193

बुधवार, 3 दिसम्बर, 2014/12 अग्रहायण,1936 (शक)

सहज तरीके से पेंशनधारियों को रुपयों की वापसी

1193. श्री बसावाराज पाटिल:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा पेंशनधारियों को उसके पास जमा 27,000 करोड़ रुपये सहज तरीके से वापस करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री)स्वतंत्र प्रभार(

)श्री बंडारु दत्तात्रेय(

□□□□ 2013-14 □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ 31 □□□□□, 2014 □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ 27,448.54 □□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ 1952 □□ □□□□ 72(6) □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ '□□□□□□□□□□ □□□□□' □□ □□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ 36 □□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□ □ □□□□ □□□ □□□

□□□□□□□□ □□□□ 2013-14 □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□ 4316.70 □□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□

□□□□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□ □□ □□□:

)i(□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□(□□□□□□) □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□

)ii) □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□

)iii) □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□

)iv(□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□(□□□□□□□□) □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□(□□□□□□) □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□

)v) □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□:

I. जहां स्थापना प्रचालन में हों, वहां अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा दावा प्रपत्रों का अनुप्रमाणन अनिवार्य बनाया गया है।

II. □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □ □□, □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□(□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□) □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□-□□-□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□

****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 1961

बुधवार, 10 दिसम्बर, 2014/19 अग्रहायण,1936 (शक)

न्यूनतम पेंशन का कार्यान्वयन

1961. डा टी सुब्बारामी रेड्डी:

श्री ए के सेल्वाराज:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ई पी एस -95 के अंतर्गत बहु प्रतीक्षित 1000 रुपए की न्यूनतम मासिक पेंशन तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं हेतु 15000 रुपए की अधिकतम मजदूरी सीमा को शीघ्र ही कार्यान्वित कर दिया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस कदम से लगभग 28 लाख पेंशनभोगियों को मदद मिलेगी

(घ) क्या यह भी सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई पी एफ ओ) के अभिदाता होने की अधिकतम सीमा में बढ़ोतरी किए जाने के इस कदम से इस निकाय के दायरे में औपचारिक क्षेत्र के 50 लाख अतिरिक्त कामगारों को लाए जाने की आशा है; और

(ङ) कामगारों को बढ़ी हुई राशि का भुगतान कब तक कर दिया जाएगा?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री)स्वतंत्र प्रभार(

)श्री बंडारु दत्तात्रेय(

(क) और (ख): सरकार ने दिनांक 19 अगस्त, 2014 की अधिसूचना जीएसआर 593 (अ) के माध्यम से वर्ष 2014-15 के लिए 01.09.2014 से प्रभावी होने वाली कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के तहत पेंशन धारकों को 1000/-रुपये प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन को अधिसूचित किया है।

सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत 01.09.2014 से प्रभावी व्याप्ति की अधिकतम सीमा को 6500/-से बढ़ाकर 15000/-रुपये करने की अधिसूचना दिनांक 22 अगस्त, 2014 की अधिसूचनाएं जीएसआर 608 (अ), जीएसआर 609 (अ), जीएसआर 610 (अ) के माध्यम से भी अधिसूचित की हैं।

(ग): कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत इस अधिसूचना से लगभग 32 लाख पेंशन धारक ईपीएस, 1995 के तहत 1000/-रुपये प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन प्राप्त करने का लाभ प्राप्त करेंगे।

(घ): उच्चतम सीमा में बढ़ोतरी किए जाने से ईपीएफओ के दायरे में ओर अधिक कामगारों के आने की संभावना है।

(ङ) कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत 01.09.2014 से 1000/-रुपये प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन को लागू कर दिया गया है।

***

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1969

बुधवार, 10 दिसम्बर, 2014 19 अग्रहायण, 1936 (शक)

ठेका श्रम अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति

1969. श्री अविनाश पांडे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के क्रियान्वयन की क्या स्थिति है;

(ख) इस अधिनियम के अन्तर्गत ठेकेदारों के कितने अभिकरण/प्रतिष्ठान पंजीकृत हैं और राज्य वार इनकी अलग-अलग संख्या कितनी-कितनी है; और

(ग) ऐसे अभिकरणों में कार्यरत कितने ठेका श्रमिकों को इस अधिनियम के उपबंधें से लाभ पहुंचा है और राज्य-वार इनकी संख्या कितनी-कितनी है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारु दत्तात्रेय)

(क): केन्द्रीय क्षेत्र में ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के क्रियान्वयन की स्थिति अनुबंध "क" पर है।

(ख): इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत ठेकेदारों के अभिकरण/प्रतिष्ठान के संबंध में राज्य वार ब्यौरा केन्द्रीय स्तर पर अनुरक्षित नहीं रखा जाता है। तथापि, अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय क्षेत्र में लाइसेंसधारी ठेकेदारों/अधिकरणों और पंजीकृत प्रतिष्ठानों की संख्या अनुबंध-"ख" पर है।

(ग): राज्यवार ब्यौरा केन्द्रीय स्तर पर अनुरक्षित नहीं रखा जाता है। तथापि, केन्द्रीय क्षेत्र में विविध ठेकेदार अधिनियम के माध्यम से नियोजित कामगारों की संख्या अनुबंध-"ग" पर है।

******

अनुबंध "क"

केन्द्रीय क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 का प्रवर्तन

(2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2013-14)

क्र.सं.	विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1.	किए गए निरीक्षणों की संख्या	7327	7268	8146	6990
2.	शुरु किए गए अभियोजनों की संख्या	4908	4962	4671	4084
3.	अनियमितताओं की संख्या	148731	192418	148838	145451
4.	दोषसिद्धि की संख्या	3643	4962	2871	3270

अनुबंध "ख और ग"

केन्द्रीय क्षेत्र में पंजीकृत पीई की संख्या

वर्ष	कर्मचारी की संख्या जो वर्ष के आरंभ में पंजीकृत किए गए(अग्रानीत)	पीई की संख्या जिन्होंने ने वर्ष के दौरान पंजीकृत प्रमाण-पत्र लिए	कुल
2011-12	11361	800	12161
2012-13	11874	592	12466
2013-14	12438	666	13104

केन्द्रीय क्षेत्र में लाईसेंसधारी ठेकेदारों/ठेका श्रमिकों की संख्या

वर्ष	लाईसेंसधारी ठेकेदारों की संख्या	ठेका श्रमिकों की संख्या
2010-11	39066	1489715
2011-12	40951	1844224
2012-13	44675	2012895

भारत सरकार
श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2758

बुधवार, 17 दिसम्बर, 2014/26 अग्रहायण, 1936 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों का खोला जाना

2758. श्री ए.के. सेल्वाराज:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) दावों का निपटान करने तथा अपने सदस्यों को सुविधाएं प्रदान करने हेतु और अधिक क्षेत्रीय कार्यालय खोलने पर विचार कर रहा है;
(ख) क्या यह भी सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कुछ ईपीएफ ओ कार्यालयों द्वारा रखे जा रहे खातों की संख्या के मद्देनजर ऐसे कार्यालयों का उन्नयन कर उन्हें क्षेत्रीय कार्यालय बनाए जाने पर भी विचार कर रहा है;
(ग) क्या यह भी सच है कि कई स्थानों पर क्षेत्रीय कार्यालयों के अभाव में लोगों को दूर-दराज के स्थानों पर स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों में जाना पड़ता है; और
(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) और (ख): वर्तमान में, कर्मचारी भविष्य निधि की कार्यकारी समिति द्वारा कोई क्षेत्रीय कार्यालय खोलने अथवा किसी कार्यालय को क्षेत्रीय कार्यालय के रुप में उन्नत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ): वर्तमान में 40 क्षेत्रीय कार्यालयों के अतिरिक्त ईपीएफओ के सदस्यों को सेवाएं प्रदान करने के लिए पूरे भारत में 82 उप-क्षेत्रीय कार्यालय और 121 जिला कार्यालय/सेवा केन्द्र हैं।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 145

बुधवार, 3 दिसम्बर, 2014/12 अग्रहायण, 1936 (शक)

पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम

***145. श्री रंगासायी रामाकृष्णा:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल ही में घोषित पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस कार्यक्रम से कारबार को किस प्रकार अधिक सुकर बनाया जाएगा, जोकि 'भारत में बनाओ' अभियान की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारु दत्तात्रेय)

(क) और (ख): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम से संबंधित श्री रंगासायी रामाकृष्णा द्वारा 03.12.2014 को पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 145 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): शुरु की गई योजनाओं का ब्यौरा अनुबंध-I पर दिया गया है।

(ख): मंत्रालय ने हाल ही में औद्योगिक शांति और सौहार्द बढ़ाने के अंतिम उद्देश्य के साथ पारदर्शिता, जबावदेही तथा अनुपालना की सुकरता में अभिवृद्धि करने के लिए सुशासन की अनेक पहलें शुरु की हैं। इन पहलों से उद्यमों के लिए विकास एवं वृद्धि के भागीदार बनने में अनुकूल माहौल बनने की आशा है।

श्रम सुविधा पोर्टल 16 अक्टूबर, 2014 को शुरू किया गया था। श्रम सुविधा पोर्टल पर अब तक विद्यमान प्रतिष्ठानों के संबंध में कुल 713591 श्रम निरीक्षण नंबर सृजित किए गए हैं। इस प्रयोजनार्थ 59 नए प्रतिष्ठानों को पंजीकृत किया गया है।

नई श्रम निरीक्षण योजना के अंतर्गत, अब तक 11179 निरीक्षणों को सौंपा जा चुका है और 8,871 निरीक्षणों को अपलोड किया जा चुका है।

16 अक्टूबर, 2014 को सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) के माध्यम से पोर्टेबिलिटी की योजना भी शुरू की गई थी। अब तक कर्मचारी भविष्य निधि सदस्यों को कुल 4,20,99,841 यूएएन आबंटित किए जा चुके हैं।

अब तक यूएएन डाटाबेस में क्रमश: 21834059 बैंक खाता केवाईसी, 9244550 पैन केवाईसी, 4315474 आधार केवाईसी और 9631442 मोबाइल नंबर ब्यौरे अपलोड किए जा चुके हैं।

प्रप्रशिक्षु अधिनियम, 1961 में संशोधन करने वाला आवश्यक विधेयक भी संसद के चालू सत्र के दौरान पारित कर दिया गया है।

अनुबंध-I

पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम

केंद्रीय क्षेत्र में स्व- प्रमाणन और सुगम अनुपालन हेतु श्रम सुविधा पोर्टल

- देश में औद्योगिक विकास के लिए सहायक वातावरण बनाना
- 4 केंद्रीय संगठनों : मुख्या श्रमायुक्त, खान सुरक्षा महानिदेशक, भविष्य निधि संगठन तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम
- विशिष्ट श्रम पहचान संख्या(LIN)का आबंटन
- यूनिटों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
- उद्योगों द्वारा 16 श्रम कानूनों के लिए पोर्टल पर स्वप्रमाणित, सरलीकृत, एकल ऑनलाइन रिटर्न भरा जायगा
- शिकायतों का पोर्टल के माध्यम से समयबद्ध निस्तारण
- सूचित नीति प्रक्रिया में जोड़े जाने के लिए एक स्थान पर संपूर्ण डाटाबेस

केंद्रीय क्षेत्र में निरीक्षण हेतु रैंडम पद्धति से इकाइयों के चुनाव हेतु पारदर्शी श्रम निरीक्षण योजना

- कम्प्यूटर द्वारा जोखिम आधारित वस्तुनिष्ठ मानकों के अनुसार यादृच्छिक निरीक्षण सूची तैयार करना
- अनिवार्य निरीक्षण सूची के अंतर्गत गंभीर मामलों को शामिल करना
- तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर परीक्षण के बाद शिकायतों पर आधारित निरीक्षणों का निर्धारण
- 72 घंटों के भीतर निरीक्षण रिपोर्ट की अनिवार्य अपलोडिंग

कर्मचारी भविष्य निधि के लिए यूनिवर्सल खाता संख्या (यू. ए. एन.) के माध्यम से पोर्टेबिलिटी:

- 4,20,99,841 क. भ. नि. अंशदाताओं के सम्पूर्ण डाटाबेस का डिजिटाइज़ेशन तथा प्रत्येक को यू. ए. एन. का आबंटन
- यू. ए. एन. को वित्तीय समावेशन के लिए बैंक खाते तथा आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और अन्य के. वाई. सी. विवरण के साथ जोड़ा जा रहा है
- यू. ए. एन. के माध्यम से संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को नौकरी परिवर्तन तथा भौगोलिक क्षेत्र में परिवर्तन होने पर सामाजिक सुरक्षा लाभों की पोर्टेबिलिटी
- कर्मचारी के क. भ. नि. खाते को मासिक आधार पर अद्यतन करना तथा उसे उसी समय एस.एम.एस. के माध्यम से सूचित करना

- कर्मचारियों को उनके क. भ. नि. खातों तक सीधी पहुँच तथा उन्हें उनके पिछले खातों को समेकित करने में सक्षम करना
- केजुअल और ठेका कामगारों के नामांकन हेतु **विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है।**

असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) का प्रभावी कार्यान्वयन:

- असंगठित क्षेत्र में 93% श्रमिकों के लिए सेवाओं की गुणवत्ता और पहुँच सुनिश्चित करने हेतु आरएसबीवाई का पुनर्गठन
- शिकायत निराकरण व्यवस्था का सुदृढीकरण
- उन्नत आईटी फ्रेमवर्क के माध्यम से सेवा की पहुँच को बेहतर बनाना तथा लाभार्थियों को प्राप्त परिणामों की मानीटरी की व्यवस्था
- वित्तीय समावेशन हेतु आरएसबीवाई में पंजीयन को बैंक खाता खुलवाने/स्मार्ट कार्ड से जोड़ने तथा आधार नंबर देने/ स्मार्ट कार्ड में अंकित करने से जोड़ना
- पहली बार योजना के अन्तर्गत निवारक स्वास्थ्य परीक्षण शामिल
- निर्माण क्षेत्र तथा विभिन्न कल्याणकारी उपकरों के अंतर्गत आनेवाले लाभार्थियों के लिए भी योजना लागू
- उन्नत आईटी ढांचे के द्वारा आरएसबीवाई स्मार्ट कार्ड पर आम आदमी बीमा योजना तथा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन सामाजिक सुरक्षा स्कीमों को समेकित करने की शुरूआत

प्रप्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना

2.9 लाख की वर्तमान संख्या के मुकाबले अगले कुछ वर्षों में 20 लाख से अधिक प्रशिक्षु रखने की संकल्पना।

उद्योग तथा राज्यों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद भारत में प्रशिक्षुता योजना में सुधार करने के लिए बड़ी पहल।

इस पहल के चार संघटक हैं:

- उद्योग और युवा-दोनों के लिए कानूनी ढांचा अनुकूल बनाना। प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 में संशोधन करने से संबंधित आवश्यक विधेयक लोक सभा द्वारा 14 अगस्त, 2014 को और राज्य सभा द्वारा 26 नवम्बर, 2014 को पारित किया गया है।
- वृत्तिका की दर बढ़ाना और इसे अर्धकुशल कामगारों की न्यूनतम मजदूरी से सूचीबद्ध करना।

  राजपत्र अधिसूचना 22 सितम्बर, 2014 को जारी की गई है।

- प्रशिक्षुओं के पहले दो वर्षों के प्रशिक्षण के दौरान उन्हें अदा की गई वृत्तिका के 50% की प्रतिपूर्ति द्वारा मुख्य रूप से एमएसएमई विनिर्माण इकाइयों और अन्य प्रतिष्ठानों को सहयोग

देने के लिए प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना 16 अक्टूबर, 2014 को शुरू की गई है। यह 12वीं पंचवर्षीय योजना (31.3.2017) की शेष अवधि के दौरान यह एक लाख प्रशिक्षुओं की सहायता करेगी।

- इस योजना के शुरू होने के बाद प्रमुख समाचार पत्रों में संबंधित आरडीएटी द्वारा उद्योगों से इस योजना का लाभ उठाने के लिए स्वयं को पंजीकृत करवाने हेतु आवेदन आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए गए थे। 28.11.2014 की स्थिति के अनुसार, 153 प्रशिक्षुओं को इस योजना के तहत नियोजित किया गया है।
- मूलभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए इसे वैज्ञानिक सिद्धांतों पर तैयार किया जा रहा है और अति लघु, लघु तथा मध्यम उद्यमों को सरकार द्वारा वित्तपोषित एसडीआई योजना में इस घटक की अनुमति देकर वित्तीय रूप से सहायता प्रदान की जानी है।

पूर्व शिक्षा की मान्यता (आरपीएल)

- कृषि एवं विनिर्माण के पश्चात निर्माण क्षेत्र तीसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है। इसका भारत में रोजगार में 10% से अधिक का योगदान है
- इसमें लगभग 4.2 करोड़ कामगार रोजगाररत हैं जिनका सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में योगदान 6.67% है
- 86% कामगारों के पास कोई कौशल नहीं है और उत्पादकता स्तर निम्न है
- निर्माण संबंधी परियोजनाओं से एकत्र हुई उपकर निधियों का उपयोग कर उद्योग के साथ व्यापक परामर्श के पश्चात श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा "निर्माण कामगारों की पूर्व शिक्षा की मान्यता" नामक राष्ट्रीय योजना प्रारंभ की जा रही है
- निर्माण स्थलों को परीक्षण केंद्रों के रूप में नामोद्दिष्ट किया जाएगा
- कौशल अंतराल, यदि कोई हो, को लगभग 15 दिनों का अंतराल प्रशिक्षण देते हुए पूरा किया जाएगा
- प्रशिक्षण कक्षाओं में उपस्थित होने और मूल्यांकन हेतु वेतन क्षतिपूर्ति
- एनसीवीटी प्रमाणन

- इस योजना को तेलंगाना, हरियाणा (गुड़गॉव) और दिल्ली में प्रयोग के रूप में शुरू किया गया है।

निर्माण कंपनियों के साथ परामर्श से एनसीवीटी द्वारा प्रमाणन से आधुनिक निर्माण तकनीकों का प्रशिक्षण

- 100 स्मार्ट शहर, 2022 तक सभी को आवास जैसी पहलों के साथ निर्माण क्षेत्र तीव्र दर पर विकसित होगा
- यह अनुमान है कि वर्ष 2022 तक इस क्षेत्र में लगभग 8.3 करोड़ व्यक्तियों को नियोजित किया जाएगा
- नई परियोजनाओं में निर्माण कार्य में अंतरराष्ट्रीय मानदंडों को पूरा करने के लिए आधुनिक निर्माण प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण की जरूरत है
- कई नए पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं।

विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र

- 2011 की जनगणना के अनुसार, 2.68 करोड़ विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडीज) थे जिनमें से 1.7 करोड़ व्यक्ति बेरोजगार हैं
- देश भर में 21 विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों (वीआरसीज) के माध्यम से विकलांगों को व्यावसायिक पुनर्वास सहायता
- क्षमता निर्माण तथा अंतिम चरण उन्मुखीकरण के माध्यम से विकलांगों को नियोजनीय बनाने के लिए विकलांग व्यक्ति की क्षमता को प्रखर बनाने पर ध्यान देना
- भारत के कार्यबल में विविधता तथा समग्रता को बढ़ाने के लिए बेहतरीन व्यवहारों एवं नीतिगत उपायों को शामिल करने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय एवं टाटा सन्स के मध्य ज्ञान सहभागिता समझौता-ज्ञापन
- वीआरसीज के प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने तथा इनके लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि के लिए उद्योग के साथ संबंधों को विस्तृत एवं गहन बनाने के लिए कई प्रयास जारी हैं। कुछ संस्थान जिन्होंने वीआरसीज के साथ भागीदारी की है, उनमें राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास निगम, राष्ट्रीय

न्यास, ओएनजीसी जैसे पीएसयूज, डॉ. रेड्डी लेबोरेटरीज, यम फूडस, बैंक ऑफ अमेरिका, सार्थक इत्यादि शामिल हैं।

- इन केन्द्रों में से कुछ केन्द्र विकलांगों हेतु आदर्श कैरियर केन्द्रों के रूप में भी विकसित किए जा रहे हैं।

व्यावसायिक प्रशिक्षण के राष्ट्रीय ब्रांड प्रतिनिधि

- हमारे कार्यबल के केवल 10% ने ही औपचारिक अथवा अनौपचारिक तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इसका केवल एक चौथाई ही औपचारिक रूप से प्रशिक्षित है।
- दक्षिण कोरिया, जापान, जर्मनी में, कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके कार्यबल का प्रतिशत क्रमशः 96, 80 एवं 75 है।
- यदि हमें "मेक इन इंडिया" के अपने मिशन में सफलता प्राप्त करनी है, तो हमें प्रमाण-पत्र स्तरीय व्यावसायिक प्रशिक्षण का तीव्रता से विस्तार करने की आवश्यकता है। हमें व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु युवाओं को आकर्षित करने की भी आवश्यकता है
- व्यावसायिक प्रशिक्षण ने उत्कृष्ट तकनीशियन, मेकैनिक, उद्यमी एवं पेशेवर नेतृत्वकर्ता प्रदान किए हैं। विनिर्माण क्षेत्र इस सफलता का भंडार है
- हम व्यावसायिक प्रशिक्षण के राष्ट्रीय ब्रांड प्रतिनिधियों के रूप में ऐसे सफल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्नातकों को प्रदर्शित कर रहे हैं एवं उनको सम्मानित कर रहे हैं

लोचशील समझौता-ज्ञापन (फलेक्सी एमओयू)

- इस समय, उद्योग, शैक्षिक वर्ग, चैम्पियन आईटीआई एवं डीजीईएंडटी परामर्शदाताओं के प्रतिनिधियों वाली परामर्शदात्री परिषदों द्वारा कुल 126 एनसीवीटी पाठ्यक्रम तैयार एवं विकसित किए गए हैं तथा लगभग 11,964 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में विशेषज्ञ पाठ्यक्रम/व्यवसाय आयोजित किए जाते हैं

- इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्थानीय उद्योग की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए एनसीवीटी प्रमाणीकरण के साथ विशेष रूप से बनाए गए पाठ्यक्रम उपलब्ध हों लोचशील समझौता-ज्ञापन की नई नीति जुलाई, 2014 में प्रारंभ की गई है
- इस समझौता-ज्ञापन के तहत, कोई भी उद्योग कम्पनी की विशिष्ट कौशल आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए आईटीआई अथवा अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता के साथ भागीदारी से एनसीवीटी प्रमाणीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम चला सकता है
- उद्योग को न्यूनतम 80% रोजगार सुनिश्चित करना है
- कुछ अग्रणी उद्योग जैसे फ्लिपकार्ट, रेमण्ड्स, लेबरनेट, जीआईपीसील, कैडिला ने समझौता-ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं तथा कई अन्य अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया में है।

कौशल विजेता

- श्रम मंत्रालय प्रप्रशिक्षु शिल्पकारों/प्रशिक्षुओं में प्रतिस्पर्धात्मकता की स्वस्थ भावना पोषित करने के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित करता है
- शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के तहत प्रवेश प्राप्त प्रशिक्षुओं हेतु अखिल भारत शिल्पकार कौशल प्रतियोगिता प्रत्येक वर्ष मे एक बार आयोजित की जाती है
- प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एटीएस) के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त प्रशिक्षुओं हेतु अखिल भारत प्रशिक्षु प्रतियोगिता प्रत्येक वर्ष मे दो बार आयोजित की जाती है
- राष्ट्रीय स्तर पर विजेताओं को सम्मानित करने तथा प्रथम स्मारिका प्रकाशित करने की अब तक की प्रथम पहल जिसमें जनवरी, 2014 मे आयोजित नवीनतम अखिल भारत शिल्पकार प्रतियोगिता तथा मई, 2014 में आयोजित अखिल भारत प्रशिक्षु प्रतियोगिता में विभिन्न वर्गों के विजेताओं की सूची शामिल है।

*****